# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 106 / 2017 / बाड़मेर**

**अपीलांट** **रेस्पोडेंटगण**

1. हुकमाराम पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी कोशलू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

**बनाम** 1.सोनाराम पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी कोशलू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

2.सोहनलाल पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी आडेल तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

3.श्रीमान तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2017 बअनवान सोहनलाल बनाम सोनाराम निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री भाखराराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 22.03.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। अपीलांट की अनुपस्थिति में बमुकाम कोशलू लोकअदालत न्याय आपके द्वार 2017 में तहसील सिणधरी के राजस्व ग्राम कोशलू के खेत खसरा संख्या 130 रकबा 29.10 बीघा में वादी उतरदाता संख्या 02 को 1/3 हिस्से की घोषणा कर अपीलकर्ता की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

CIVIL APPEAL NO. 6223 OF 2021

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादी का 1/3 हिस्से की भूमि का सदभावी क्रेता खातेदार है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा घोषित करना न्यायोचित है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम सम्मन जारी किया गया जो अपीलांट स्वयं से व्यक्तिगत रूप से तामील करवाया गया उसके बावजूद भी अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहे। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2017 बअनवान सोहनलाल बनाम सोनाराम निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.05.2017 को यथावत रखा जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं मौके पर भेजकर प्राप्त कर उभयपक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव पर आपतियों का निस्तारण कर विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर